

नरा  
त।

1000-00-गांधी नाम प्राप्त।  
अन्य शर्तें संयुक्त रहेंगी।

(इंड लिलित कुमार गोयल)

अधिकारी अभियंता, अस्थाई खण्ड, लॉनिवि, चक्ररात।

प्रद  
त्तम।

2024

प्रित  
प्रकार  
मनको  
तथा  
ग्रामना  
लाइट  
रूप से  
0 बजे  
03:30  
कारण  
ग्रासन

2024  
हेतु ई-  
सूचना

की  
श्रेणी  
में डॉ  
चतर



LIFE  
Lifestyle for  
Environment

## मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

"गोरा देवी पर्यावरण भवन", 46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून  
E-mail: msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

दिनांक: 07.08.2024

पत्रांक - यूकॉपीसीबी/एवओ/एन.ओ.सी.(पी.एच)-7985/71

### पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

श्री गोविन्द सिंह मेहरा, निवासी ग्राम चौनाला, पो0 स्पांकोट, तह0 कांडा, जनपद बागेश्वर एवं श्री कुंजर सिंह रैखोला, निवासी ग्राम रैखोलागांव, पो0 सनेती, तहसील एवं ज़िला बागेश्वर द्वारा ग्राम ठाड़ाइज़र, तहसील एवं ज़िला बागेश्वर में सोफ्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल-4.70 हेक्टेएर) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SEIAA) द्वारा तर्मस के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निधारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा द्वापर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रभाव और भारत सरकार द्वारा जारी ई-आईए अधिसूचना 14.09.2006 (यथासंशोधित) के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियावर्तन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधिक है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थी देया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवर्त है:-

1. ज़िलाधिकारी, जनपद बागेश्वर या उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि जो ज़िला स्तरीय अधिकारी हो - लोक सुनवाई के अध्यक्ष।

2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जामीन समस्त अभिलेख (i) क्षेत्रीय कायालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25-सुभाष रोड, देहरादून (ii) मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरा देवी पर्यावरण भवन, 46-बी, आई0टी0 पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून (iii) क्षेत्रीय कायालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वान मंत्रालय, जनपद नीरीताल (iv) कायालय ज़िलाधिकारी, बागेश्वर (v) कायालय, ज़िला पंचायत, बागेश्वर (vi) ज़िला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर में उपलब्ध है, जिनका कोई भी छँचुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। द्वापर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति [www.ueppcb.uk.gov.in](http://www.ueppcb.uk.gov.in) परीक्षा उपलब्ध है।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा, निवासी ग्राम चौनाला, पो0 स्पांकोट, तह0 कांडा, जनपद बागेश्वर एवं श्री कुंजर सिंह रैखोला, निवासी ग्राम रैखोलागांव, पो0 सनेती, तहसील एवं ज़िला बागेश्वर द्वारा ग्राम ठाड़ाइज़र, तहसील एवं ज़िला बागेश्वर में सोफ्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल-4.70 हेक्टेएर) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 10.09.2024 को प्राप्त: 11.00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय कोविड-19 के संदर्भ में विद्यमान SOP के अधीन सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक लागत से मासक का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेटेटाइज़र तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ नियंत्रित की जाती है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने गौमिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियों इस कायालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कायालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी में इस सुनवाई से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य संचिव

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Dainik Jagran 04/09/2024